छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर-नवा रायपुर

क्रमांक 4809/एफ 7–95/31/एस–2/2020, अटल नगर, दिनांक 13/12/2024

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :– **कोरिया (वर्तमान मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) जिले के विकासखंड–सोनहत अंतर्गत कुशमाहा जलाशय के बांध एवं नहर का जीर्णोद्धार कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– प्र.अ. का पत्र क्र.–1633/बोधी/RAA/2024/583, नवा रायपुर, दि. 19.01.2024.

राज्य शासन एतद् द्वारा कोरिया (वर्तमान मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) जिले के विकासखंड–सोनहत अंतर्गत कुशमाहा जलाशय के बांध एवं नहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रू. 166.38 करोड़ (रूपये एक करोड़ छैसठ लाख अड़तीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत रूपांकित सिंचाई क्षमता 421 हेक्टेयर के विरूद्ध 260 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 4702–लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}–सतही जल, 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (3828)–लघु सिंचाई योजना, #97–निर्माण कार्य, 003–बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. 1708/बजट–2/वित्त/चार 2024, दिनांक 06.12.2024 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

F:\D2-WRD (AK) (SR)-2024\AAAA.AADESH.....docx

पृ.क्रमांक 4810/एफ 7–95/31/एस–2/2020, अटल नगर, दिनांक 13/12/2024

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला–कोरिया (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल अंबिकापुर (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
17 DEC 2024
कक्ष...............................

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग